



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 3850 / 2023

हरिकेश एवं अन्य

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से अपर सचिव गृह विभाग
एवं अन्य
प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता
सरोज कुमार

: अरविंद कुमार श्रीवास्तव
: शासकीय अधिवक्ता, प्रवीण कुमार,
वर्मा, सुधांशु श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन, पुनरीक्षण संख्या 334/2022 में सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर (संक्षेप में "पुनरीक्षण न्यायालय") द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पारित किए गए पुनरीक्षण आदेश एवं आपराधिक वाद संख्या 587/2020 में अपर दीवानी न्यायाधीश (अवर खंड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 29, सुल्तानपुर (संक्षेप में "विचारण न्यायालय") द्वारा दिनांक 24.02.2021 को पारित किए गए आक्षेपित सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 147, 148, 149, 427, 392, 504, 506, थाना- जगदीशपुर, जिला- सुल्तानपुर के अंतर्गत है।

2. आवेदक का मामला यह है कि आवेदक संख्या 7 / राम अवध ने दिनांक 30.11.2019 को विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई, जो वाद अपराध संख्या 0316/2019 के तौर पर, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (संक्षेप में "अधिनियम, 1984") की धारा 3(2) के अंतर्गत, थाना- जगदीशपुर, जिला- अमेठी में दर्ज है। आवेदक संख्या 1 / हरिकेश ने भी दिनांक 30.11.2019 को राम उजागिर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई, जो विपक्षी संख्या 2 का भाई है, जो वाद अपराध संख्या 0315/2019 के तौर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत, थाना- जगदीशपुर, जिला- अमेठी में दर्ज है।
3. यह प्रस्तुत किया गया है कि बदले की भावना से, विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक संख्या 1 एवं 7 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दिनांक 18.01.2020 को निचली न्यायालय के समक्ष आवेदकों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दर्ज कराया। आवेदक संख्या 7 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, तहसीलदार मुसाफिरखाना, अमेठी (संक्षेप में "तहसीलदार") ने दिनांक 20.11.2019 को राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि यानी गाटा संख्या 238 का निरीक्षण किये जाने का आदेश दिया। दिनांक 20.11.2019 के आदेश के अनुसार, पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में, विपक्षी संख्या 2 द्वारा किए गए अतिक्रमण को गिरा दिया गया है। स्थल निरीक्षण ज्ञाप भी तैयार किया गया था और संबंधित छायाचित्रों को इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में अभिलेख (रिकॉर्ड) पर लाया गया है। राजस्व निरीक्षक ने 29 नवंबर 2019 को तहसीलदार के समक्ष अपनी आख्या (रिपोर्ट) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि विपक्षी संख्या 2 ने तोड़फोड़ के बाद, फिर से उस भूमि पर कब्जा कर लिया है। उस आख्या के आधार पर तहसीलदार ने थानाध्यक्ष,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुसाफिरखाना, अमेठी को विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही झूठी, मनगढ़ंत एवं गलत इरादे से की गई लगती है, क्योंकि आवेदक संख्या 1 एवं 7 ने विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजस्व प्राधिकारी ने भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी, इसीलिए उन्होंने बाद में दिनांक 18.01.2020 को शिकायत दर्ज कराई।
5. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने आवेदकगण की दलील पर विचार नहीं किया है तथा पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया है।
6. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है :-
 - i. हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335 में दर्ज;
 - ii. पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एससीसी 749 में दर्ज।
7. दूसरी तरफ, विपक्षी संख्या 2 / शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं 202 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं तथा संबंधित अभिलेख (रिकॉर्ड) और बयानों पर विचार करने के बाद ही आक्षेपित सम्मन आदेश पारित किया गया है, इसलिए निचली न्यायालय द्वारा जारी सम्मन में कोई अवैधता नहीं है।
8. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
9. भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहाँ कोई आपराधिक कार्यवाही साफ़ तौर पर गलत इरादे से की गई हो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और/या जहाँ कार्यवाही बदला लेने के गलत इरादे से संस्थित की गई हो, उसे रद्द किया जा सकता है। पूर्वोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही स्थिति से निपटते हुए, उदाहरण के तौर पर मामलों की श्रेणी बताई हैं, जिनमें न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के गलत प्रयोग को रोकने के लिए या फिर न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कर सकते हैं। उस निर्णय का प्रस्तर 102, विशेष रूप से प्रस्तर 102(7) इस तरह है :

"102. संहिता के अध्याय XIV के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में तथा इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से जुड़े कई निर्णयों में बताए गए विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर निकाला तथा पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के तौर पर मामलों की श्रेणी दी है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई विधिपूर्वक, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से दिशा-निर्देशित और न बदलने वाले दिशानिर्देश या कठोर सूत्र तय करना एवं ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की पूरी सूची देना, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, संभव नहीं है।

(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें सच मान लिया जाए तथा पूरी तरह से मान लिया जाए, पहली नज़र में कोई अपराध नहीं बनाते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।

(2) जहां प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्री, अगर कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध को प्रकाशित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं करती, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत किये गए अन्वेषण को न्यायोचित ठहराना, संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए बिना किसी विवाद के आरोप तथा उनके समर्थन में इकट्ठा किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।

(4) जहां प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि सिर्फ असंज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी को कोई अन्वेषण करने की इजाजत नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत माना गया है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने विवेकहीन और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकी व्यक्ति कभी भी इस सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही संस्थित करने तथा जारी रखने पर कोई स्पष्ट विधिक रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान है, जो व्यथित पक्ष की शिकायत का प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट तौर पर गलत इरादे से की गई हो और/या जहां कार्रवाई अभियुक्त से बदला लेने के गलत इरादे से और निजी एवं व्यक्तिगत रंजिश की वजह से उसे परेशान करने के इरादे से जानबूझकर संस्थित की गई हो। (जोर दिया गया)।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को सम्मन भेजना एक गंभीर मामला है तथा आपराधिक विधि को अपने आप लागू नहीं किया जा सकता। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर इस तरह है :-

"28. किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को सम्मन करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक विधि को अपने आप लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि शिकायत करने वाले को आपराधिक विधि को लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों को समर्थित करने के लिए सिर्फ़ दो साक्षी लाने होंगे। अभियुक्त को सम्मन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से यह दिखना चाहिए कि उसने मामले के तथ्य तथा उस पर लागू विधि पर ध्यान दिया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा उनके समर्थन में दिए गए साक्ष्यों, मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों का परीक्षण करना होगा तथा यह देखना होगा कि क्या यह शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त पर आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को सम्मन करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य, रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट सिर्फ़ मूक दर्शक बना रहे। मजिस्ट्रेट को अभिलेख (रिकॉर्ड) पर लाए गए साक्ष्यों का ध्यान से जांच करनी होगी तथा वह स्वयं भी शिकायतकर्ता एवं उसके साक्षियों से प्रश्न पूछ सकता है ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके या अन्यथा और फिर जांच करे कि क्या सभी या किसी भी अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया है।"

11. अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि आवेदक संख्या 1 एवं 7 ने दिनांक 30.11.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थी। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 29.11.2019 को तहसीलदार के समक्ष अपनी आख्या (रिपोर्ट) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि विपक्षी संख्या 2 ने तोड़फोड़ के बाद उस भूमि पर फिर से कब्ज़ा कर लिया है। उस आख्या के आधार पर, तहसीलदार ने थानाध्यक्ष मुसाफिरखाना, अमेठी को विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गलत इरादे से, विपक्षी संख्या 2 ने बाद में दिनांक 18.01.2020 को कार्रवाई संस्थित की। इस न्यायालय का मानना है कि मौजूदा शिकायत, आवेदक संख्या 1 एवं 7 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध दर्ज कराई गयी प्राथमिकी का जवाब है, क्योंकि इसे बाद में दिनांक 18.01.2020 को दायर किया गया था। विपक्षी संख्या 2 अपना व्यक्तिगत हिसाब बराबर करना चाहता था, इसलिए उसने यह शिकायत इस उम्मीद से दायर की कि पक्षों के बीच कुछ समझौता हो सकता है। इसलिए, अभिलेख (रिकॉर्ड) के अवलोकन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी संख्या 2 ने गलत इरादे से यह शिकायत दायर की है। आवेदक का मामला **भजन लाल (उपरोक्त)** तथा **पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त)** के निर्णयों के अंतर्गत आता है, इसलिए, यह कार्रवाई नहीं चल सकती क्योंकि यह विधि का गलत प्रयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। पुनरीक्षण न्यायालय का दिनांक 01.03.2023 का पुनरीक्षण आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 587/2020 में विचारण न्यायालय का दिनांक 24.02.2021 का आक्षेपित सम्मन आदेश, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 392, 504, 506 के अंतर्गत, थाना- जगदीशपुर, ज़िला- सुल्तानपुर में पारित किया गया था, आवेदकगण के लिए रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

23 मार्च, 2026

मोहित सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।